

## एक मुस्लमि वदिवान की भूमिका (2 का भाग 2)

रेटगि:

वविरण: ??????? ??????? ?? ????? ????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??????? ??????? ???????

श्रेणी: [पाठ](#) , [सामाजिकि बातचीत](#) , [मुस्लमि समुदाय](#)

द्वारा: Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

प्रकाशति हुआ: 08 Nov 2022

अंतमि बार संशोधति: 07 Nov 2022

उददेश्य

- एक मुस्लमि वदिवान की भूमिका को समझना।
- अपनी शक्ति की गहराई को समझना।
- इस्लामी कानून और वदिवता से जुड़ी शब्दावली को समझना।

अरबी शब्द

- ???? - (बहुवचन: फतावा) एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा दिए गए इस्लामी कानून के एक बदि पर एक नरिणय।
- ?????? - फतवा जारी करने के योग्य व्यक्ति।
- ???? - (बहुवचन: उलमा) वह जसिके पास ज्ञान है। यह शब्द आमतौर पर एक मुस्लमि धार्मिकि वदिवान को संदर्भति करता है।
- ???? - एक मुस्लमि न्यायाधीश जो शरिया के अनुसार कानूनी नरिणय देता है।
- ???? - इस्लामी कानून।
- ???? - "सहाबी" का बहुवचन, जसिका अर्थ है पैगंबर के साथी। एक सहाबी, जैसा कि आज आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग कया जाता है, वह है जसिने पैगंबर मुहम्मद को देखा, उन पर वशिवास कया और एक मुसलमान के रूप में मर गया।

एक वदिवान से जुड़े कई शब्द हैं और उनमें से कई इस पाठ के अरबी शब्दों के खंड और पछिले पाठ में परभाषति कएि गए हैं। हालांकि दो शब्दों के लिए अधिक गहन परभाषा और समझ की आवश्यकता होती है। फतवा और मुफ्ती दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग कभी-कभी उनके अर्थ को समझे बिना आसानी से कयिा जाता है।



फतवा एक इस्लामी कानूनी फैसला है, जो धार्मिक कानून के विशेषज्ञ द्वारा जारी कयिा जाता है। यह आमतौर पर एक विशिष्ट मुद्दे से संबंधित होता है और किसी व्यक्ति, समूह या न्यायाधीश के अनुरोध पर दयिा जाता है और इसका उपयोग मुद्दे को हल करने के लिए कयिा जाता है। अगर कानून का कोई बट्टि या परस्थितियां अस्पष्ट हैं तो फतवा जरूरी है। जब नए मामले वकिसति होते हैं जैसे कबिदता हुआ प्रौद्योगिकी और वज्जान, तब भी फतवा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, "क्या एक मुसलमान क्लोनगि में शामिल हो सकता है?" एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए फतवा की आवश्यकता होगी।

इस्लामी कानून का पालन करने वाले देशों में सार्वजनिक रूप से जारी कएि जाने से पहले फतवा पर सख्ती से बहस की जाती है। इनकी पुष्टि एक सर्वोच्च धार्मिक परिषद की सहमति से की जाती है। इन देशों में फतवा शायद ही कभी वरिधाभासी होते हैं, और कानून द्वारा लागू करने योग्य होते हैं। उन राष्ट्रों में जो इस्लामी कानून को मान्यता नहीं देते हैं, मुसलमानों को अक्सर परतस्पर्धी फतवा का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति चुन सकता है ककिसि नियम का पालन करना है।

जब तक कोई व्यक्ति इस्लामी न्यायशास्त्र में अत्यधिक शक्ति न हो, उसे फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे शक्ति व्यक्ति को मुफ्ती कहा जाता है। मुफ्ती बनने के लिए आवश्यक उन्नत प्रशिक्षण के कारण मुफ्ती को वदिवानों में सबसे ऊपर माना जाता है। वह इस्लामी कानून के विशेषज्ञ होते हैं जो आधिकारिक कानूनी राय (फतवा) देने के योग्य होते हैं; ये आमतौर पर स्थापित उलमा के एक सदस्य और काज़ी से ऊपर होते हैं। दूसरी ओर, काज़ी किसी व्यक्ति या समूहों से संबंधित विशेष मामलों या घटनाओं पर निर्णय जारी करता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दो वरिधी शामिल होते हैं। सामान्य परस्थितियों में दोनों पक्ष (मुफ्ती और काज़ी) एक साथ काम करते हैं। मुफ्ती कानून की बात बनाता है और काज़ी उस पर अमल करता है।

फतवा जारी करने के लिए मुफ्ती को कई चीजें पता होनी चाहिए जो ककई वर्षों की व्यापक धार्मिक शिक्षा के बाद ही समझी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, उसे शासन से संबंधित कुरआन के छंदों को ज्ञान होना चाहिए - ये छंद कब प्रकट कयिे गए थे और क्यों, इसके साथ ही किसी भी सहायक और वरिधी छंद के

बीच अंतर करने में सक्षम होना। उसे शाशन से संबंधित सभी हदीसों का ज्ञान होना चाहिए और उनके बताये जाने वाले की श्रृंखला का ज्ञान होना चाहिए, और इस मुद्दे पर कानूनी उदाहरणों से परिचित होना चाहिए, जिसमें तर्क और पहले के वदिवानों द्वारा की गई कोई भी आम सहमति शामिल है। वह पैगंबर और उसके बाद की दो पीढ़ियों के समय प्रचलित वाक्य रचना, व्याकरण, उच्चारण, मुहावरों, विशेष भाषाई उपयोगों, रीति-रिवाजों और संस्कृति में भी पारंगत होना चाहिए।

यह याद रखने योग्य है कि अयोग्य और या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए फतवा की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। जब किसी को आवश्यक ज्ञान न हो तो फतवा जारी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा एक मुफ्ती के फैसले को कानून का फैसला नहीं माना जाता है। यह किसी मुद्दे की प्रतिक्रिया है और यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वे नरिणय का पालन करें या नहीं। दूसरी ओर, कानून अदालत के व्यक्तित्व नरिणयों द्वारा लागू किया जाता है।

इस्लामिक कानून जैसे अन्यथा शरिया के रूप में जाना जाता है, लोगों को विश्वास, पूजा, नैतिकता, सदाचार, व्यवहार, बातचीत और बौद्धिक समझ सहित सभी चीजों में मध्य मार्ग पर बुलाता है। इसे शरिया का आधार कहा जा सकता है, जहां आवश्यक और मार्गदर्शक सिद्धांत संयम है। इस्लाम चरम सीमाओं के बीच संतुलन बनाता है।

पैगंबर मुहम्मद ने कहा, "ऐ लोगों धार्मिक मामलों में चरम पर जाने से सावधान रहो, क्योंकि जो आपसे पहले आये थे वे धार्मिक मामलों में चरम पर जाने के कारण बर्बाद हो गए।"<sup>[1]</sup> इस्लाम में धर्म रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं है; एक मुसलमान अपने दैनिक जीवन के हर पहलू को पूजा का एक रूप बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार पैगंबर मुहम्मद अपने अनुयायियों को उदारवादी होने, बीच का रास्ता अपनाने और शरिया की सीमाओं के भीतर आने वाले वकिलों में से आसान वकिल चुनने की सलाह देते थे। एक मुस्लिम वदिवान की भूमिकाओं में से एक यह है कि वे दूसरों का मार्गदर्शन करें और शिक्षित करें कि इसकी सीमा कहां तक है।

**“और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत (समुदाय) बना दिया...” (क़ुरआन 2:143)**

पैगंबर मुहम्मद की प्यारी पत्नी आयशा ने कहा कि, "जब भी पैगंबर को दो वकिलों में से किसी एक को चुनना होता, तो उन्होंने हमेशा आसान वकिल चुना, जब तक कि वह वकिल गलत न हो, ऐसा होने पर वह इससे बचते थे।"<sup>[2]</sup> इस प्रकार एक मुस्लिम वदिवान की भूमिका दूसरों के लिए इस्लाम को आसान बनाना और लोगों को चरम सीमा तक जाने से रोकना है।

अल्लाह ने पैगंबर मुहम्मद से कहा, "अल्लाह की दया के कारण ही आप उनके लिए कोमल (सुशील) हो गये और यदि आप अक्खड़ तथा कड़े दिल के होते, तो वे आपके पास से बखिर जाते" (क़ुरआन 3:159)। और तदनुसार जब पैगंबर ने मुअद बनि जबल (अल्लाह उनसे प्रसन्न) को यमन के लोगों को इस्लाम सिखाने

के लिए भेजा, पैगंबर ने उन्हें नमिनलखिति सलाह दी, "लोगों के धार्मिक मामलों को सुगमबनाना और चीजों को मुश्किल न बनाना। एक दूसरे की बात मानना और [आपस में] मतभेद न करना।"

इस्लाम इस्लामी वदिवानों से ज्ञान लेने में भी संतुलन बनाता है। एक मुसलमान को अपने आप को आत्मनर्भर नहीं समझना चाहिए और सभी वदिवानों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए - ऐसा करना कटुलि वचिारधाराओं में गरिने का एक नश्चिती मारग है। और दूसरी ओर उसे इस्लामी वदिवानों को अचूक नहीं समझना चाहिए; उनके शब्दों को अचूक मानना उन चरम सीमाओं का हसिस्सा है जनिसे वशिवासियों को दूर रहने के लिए कहा जाता है। एक मुसलमान वनिम्रतापूरवक अपने ज्ञान के स्तर को स्वीकार करता है और अपने इस्लाम को उन लोगों से सीखता है जो सक्षम और भरोसेमंद हैं।

वह मुस्लमि वदिवान जनिहें सलाह देने और धार्मिक नियम बनाने के लिए शकिषति कथिा जाता है, वे वशिवासियों को सही रास्ते, मध्य मार्ग पर मजबूती से रहने में मदद करने की पूरी कोशशि करते हैं। वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अत्यधिक वशिषिट धार्मिक प्रशकिषण और शकिषा लेते हैं; उनके ज्ञान की गहराई आज इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध सभी सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। वदिवान वह व्यक्तीहोता है जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई घंटे और वर्षों, यहां तक कि दशकों तक का समय लगाता है।

---

फुटनोट:

[1] इब्न माजा, ??-???? (अल अल्बानी द्वारा सहीह के रूप में वर्गीकृत कथिा गया)

[2] ???? ??-???????

इस लेख का वेब पता

<https://www.newmuslims.com/hi/articles/289>

कॉपीराइट © 2011 - 2024 NewMuslims.com. सर्वाधिकार सुरक्षित।